11/7/19 पत्रावली पेश हुई बकाया उप०।

बहस बकाया सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया कि वाद ग्रस्त खाराजी को लेकर दोनों पक्षों में आपस में कई लड़ाई झगड़ा हो चुका है जिनकी FIR पुलिस थाने पीपाड़ में दर्ज जिनकी प्रतियां वकील प्रार्थी ने फार्म नं. III के साथ न्यायालय में पेश की है उनके वाद ग्रस्त खाराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (जोधपुर)

.मु.जो.

Scanned by CamScanner

हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जा काश्त की कृषि भूमि है जिसकी पत्थरगढ़ी भी श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार हो रखी है जिसके चारों तरफ चौरा लगाकर पट्टियां खड़ी करके तारबन्दी की हुई है इसी प्रकार वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में, वकील प्रार्थी द्वारा बताई गई बातों को विरोध किया। हमने बहस वकलाय सुनी, बहस पर मनन करने पर पाया कि वाद ग्रस्त आराजी को लेकर दोनों पक्षों में कई बार झगड़ा फसाद हो चुका है, शान्ति व्यवस्था भंग हो चुकी है इसलिये शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वह वाद के निस्तारण तक राजस्व ग्राम जवासिया के खसरा नम्बर 127/3 की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे एवं दोनों पक्ष एक दूसरे के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। न ही वाद ग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करें पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं ... अधिकारी

Scanned by CamScanner